



2026: AHC: 42497

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2827/2026 (मुख्य रिट याचिका)

पंकज कुमार जैन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादी गण

एवं संबद्ध अन्य वाद

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार, सौम्येश दत्त त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : भानु प्रताप सिंह कछवाह, सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौम्येश दत्त त्रिपाठी और विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव, जो राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित हुए हैं, साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री भानु प्रताप सिंह कछवाह को सुना गया।
2. मुख्य रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 26.05.1994 को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा के आदेश द्वारा लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था और उसकी सेवाओं को 28.05.1995 को नियमित कर दिया गया था और वह 30.04.2025 को सेवानिवृत्त हुआ।
3. संबद्ध C1 रिट याचिका के संबंध में, उसमें याचिकाकर्ता को 02.07.1977 को चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 09.08.1978 के आदेश द्वारा 02.07.1978 को नियमित किया गया था, वह 31.01.2018 को चपरासी के पद से सेवानिवृत्त हुआ।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. जहाँ तक संबद्ध C2 रिट याचिका का प्रश्न है, याचिकाकर्ता जिसे 15.01.1985 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था और 15.01.1986 को नियमित किया गया था, उसे 20.12.2013 को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया और वह 31.07.2020 को सेवानिवृत्त हुआ।
5. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप 300 दिनों के अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान की मंजूरी और वितरण के हकदार हैं। यह दावा रिट-ए संख्या 16921 वर्ष 2008 (धर्मिधर दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, निर्णय 25.08.2014), रिट-ए संख्या 29685 वर्ष 2015 (फूल चंद्र मिश्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, निर्णय 21.05.2015), विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या 497 वर्ष 2016 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य बनाम फूल चंद्र मिश्रा एवं अन्य) जिसे 09.08.2016 को खारिज कर दिया गया था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 'उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद बनाम फूल चंद्र मिश्रा एवं अन्य; स्पेशल लीव टू अपील (C) संख्या 36259 वर्ष 2016, निर्णय 15.03.2024' के आलोक में किया गया है।
6. वर्तमान याचिका में प्रतिवादीगण को इस दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 4, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
8. इस सुझाव पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
9. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को **निस्तारित** किया जाता है और रिट याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 4 इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 4 की राय है कि अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले का निर्णय किसी अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।

10. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादीगण से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः इस आदेश के पारित होने को इस रूप में न देखा जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुणों पर कोई विचार व्यक्त किया है।

11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

25 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।